दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना

ायोजना कब प्रारंभ की गई

ां£े वर्ष 2016

∆्रीं∆पात्रता के मापदंड

८∕-6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग बच्चें

अईताएं

🖒 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

॒6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।

८ेसमग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो

₹सहायता

£े₹ 600 प्रतिमाह

₹सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

िनिर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-

ंतीन फोटो

८ेआयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

्रेनिःशक्तता का प्रमाण पत्र

८७९ अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

₹स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

८ ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

्रिशहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

₹आवेदन निराकरण की समय - सीमा

िलोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

Department

State Level: Social Justice Department- Implemented by Social Justice Department

Objective

 Pension is sanctioned to provide social security to destitute old age, Kalyani, Abandoned, Divyang and poor people. Under this, 60 years old people who do not have the capacity to maintain themselves. Welfare and Abandoned Women above 18 years of age, PwDs above 6 years of age and below 18 years of age are benefitted with Disability Education Incentive Assistance and PwDs above 18 years of age.

About the Scheme

· Cash- Rs. 600 per month

Eligibility

- MP Domicile;
- Widows of age 18-39 in BPL Families;
- Abandoned women of age 18-59 in BPL;
- Physically Handicapped people of age 6-18 whose disability is at least 40%;

Application

 Apply in the prescribed application form to the Gram Panchayat / Janpad Panchayat in the rural area, Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council office in the urban area with the following records: -

Two photos of Yourself, BPL Card or certificate of destitute / poor, Age proof, Certificate of disability, Welfare / Certificate of Abandonment.

Necessary documents

Two photos of Yourself BPL Card or certificate of destitute / poor Age proof certificate Certificate of disability Welfare / Certificate of Abandonment

Contact at

Gram Panchayat / Janpad Panchayat in the rural area, Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council office in the urban area

Verification officer

Gram Panchayat / Janpad Panchayat in the rural area, Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council office in the urban area



दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं का ध्यान बढ़ाई पेंशन राशि और लिया संज्ञान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सम्मान राशि में वृद्धि





इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन



योजनाओं में पेंशन राशि बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।

- समग्र सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना में वृद्ध, दिव्यांग, परित्यक्ताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिभावकों और वृद्धाश्रमवासियों की पेंशन राशि भी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित, बहु विकलांग, प्रमस्तिष्क घात और स्वपरायणता से ग्रस्त लोगों को पात्रतानुसार 600 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान करने का निर्णय।
- प्रदेश के 40 लाख 37 हजार 553 लोग होंगे लाभान्वित।

बदलाव के लिए संकल्पित – मध्यप्रदेश सरकार